11 [illegible]

[illegible]

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर)
# पीठासीन अधिकारी श्री विश्वामित्र मीना आ0ए0एस0

मुकदमा संख्या 170/18 निर्णय दिनांक 11/07/2018

दायर दिनांक 02.07.2018

## उनवान

1. फिरोज खान उम्र करीब 44 साल पुत्र श्री नसीम अहमद जाति खानजादा निवासी कोटकासिम तहसील व थाना कोटकासिम जिला– अलवर (राजस्थान)

–वादीगण

## बनाम

1. कर्णसिंह उम्र करीब 49 साल पुत्र श्री सुरता जाति जाट निवासी कोटकासिम तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0 ।
2. राजस्थान सरकार जर्ये भूमिधारी अधिकारी (लैण्ड होल्डर) तहसीलदार साहब कोटकासिम जिला–अलवर राज0।
3. उप पंजियक कोटकासिम जिला अलवर राज0

–प्रतिवादीगण

दावा तकासमा आराजी हुक्मईम्तनाईदवामी जेर

दफा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः– 1. श्री नरहरि व्यास अभिभाषक वादी

2. श्री रणवीर सिंह यादव अभिभाषक प्रतिवादी संख्या –1

वादी ने मय अभिभाषक न्यायालय में उपस्थित होकर एक वाद इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी हाल खसरा संख्या 2037/1 रकबा 03 बीघा 05 बिस्वा वाके ग्राम कोटकासिम तहसील कोटकासिम जिला अलवर में स्थित है जो आराजी उक्त वाद में विवादित आराजी कहलावेगी । मिन वादी द्वारा मुतदाविया आराजी खसरा संख्या 2037/1 रकबा 3–05 बिस्वा कुल 65 बिस्वा में से 10/65 बिस्वा भूमि बाजाप्ता बाकब्जा प्रतिफल अदा कर जर्ये रजिस्टर्ड बैयनामा खरीद की जिसका नामान्तकरण संख्या 4181 दर्ज वो मंजूर हुवा तथा मिन वादी उक्त खसरा नम्बर के 10 बिस्वा भूमि पर बतौर खातेदार राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में अमल आ चुका है नकल जमाबन्दी नकल बैयनामा संलग्न कर पेश है। बैयनामा कराने से पूर्व मुतदाविया भूमि के खातेदार कर्णसिंह द्वारा जो 10 बिस्वा भूमि मिन वादी को विकय की उसका खुलासा कि कुल खसरा नम्बर भूमि में से किस स्थान की भूमि का विकय पत्र पंजिबद्ध कराया जाना है इस बाबत आपने दिनांक 05.06.2018 को इकरारनामा में दर्ज कराया ओर कब्जा मुझ वादी केता को दिया जिसके अनुसार वादी की 10 बिस्वा के तरफ उत्तर में भूमि विकेता तरफ दक्षिण में भूमि का निकास, वो सती मन्दिर को जाने वाली सडक से लगती हुई, तरफ पूर्व में भूमि विकेता प्रतिवादी की, जो महावीर के हिस्से की है तरफ पश्चित में भूमि विकेता की से महदूद है उक्त स्फैसिफिक भूमि 10 बिस्वा को प्रतिवादी न0 1 कर्णसिंह द्वारा मुझ वादी को विकय किया गया जिस पर वादी काबिज वो दाखिल है राजस्व

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

रिकॉर्ड में जमाबन्दीयात में खरीदशुदा आराजी को विक्रेता कर्णसिंह के साथ साथ सह खातेदार के रूप में यानि की शामलात में दर्ज किया हुवा है राजस्व रिकॉर्ड में बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस तकसीम भूमि नही है। तथा प्रतिवादी की नियम में खोट आ चुका है और प्रतिवादी ने बदनियति से विक्रयशुदा भूमि में काश्त में रूकावट डालने की दिनांक 28.06.2018 को कुचेष्टा की ओर तकसीम कराने से इंकार किया, लिहाजा वादी को मौजूदा वाद बाबत तकसीम विवादित आराजी दायर करना लाजिम आया है। लिहाजा आराजी खसरा संख्या 2037/1 कुल रकबा 3–05 बिस्वा में से 10 बिस्वा भूमि जिसका विशिष्ठ भू–भाग तरफ उत्तर में भूमि विक्रेता, तरफ दक्षिण में भूमि का निकास सती मन्दिर जाने वाली सडक से लगती हुई, तरफ पूर्व में भूमि विक्रेता जो महावीर के हिस्से की है तरफ पश्चित में भूमि विक्रेता रकबा को हाल जमाबन्दी सम्वत 2071 से 2074 के खाता संख्या 105 से अलग किया जाकर नया खसरा नम्बर डालते हुवे अलग से कुर्रे कायम कर तकसीम किया जावे। मुझ वादी द्वारा खदीदशुदा 10 बिस्वा रकबा जिसका हदूद अर्बा वादपत्र में दर्ज किया हुवा है जो सती मन्दिर जाने वाली सडक से लगती हुई जो वादी की बाजाप्ता बाकब्जा जर्ये रजिस्टर्ड बैयनामा खरीदशुदा है एवं मिन वादी खातेदार दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है जिसमें वादी के अधिकार कानूनन रक्षित है इसके बावजूद प्रतिवादी ने दिनांक 28.06.2018 को मिन वादी को तकसीम आराजी कराने से तो इंकार किया ही बल्कि आराजी मुतदाविया के 10 बिस्वा रकबे से जिस रकबे को वादपत्र के पेराओं जिममनों में दर्ज किया हुवा है से बेदखल करने, उपयोग उपभोग में बाधा पहूँचाने वो काश्त करने देने की धमकी दी है यदि प्रतिवादी अपने उक्त नापाक इरादो में कामयाब होता है तो वादी को अजहद हानी होगी कि जिसकी कीमत रूप्यों में आंका जाना सम्भव नही है लिहाजा प्रतिवादी को इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वो आराजी खसरा संख्या 2037/1 रकबा 3 बीघा 05 बिस्वा मे से 10 बिस्वा भूमि जिसे वादपत्र में वर्णित किया गया है के किसी जुज अथवा अंश से जब्रन बेदखल नही करे, ना वादी के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार से मजाहमत वो मदातखलत पैदा करे, ना वादी को जब्रन बेदखल कर कब्जा करे, ना वादी को फसल काटने, बोने, समेटने में बाधा पैदा करे, ना दीगर व्यक्ति को रहन, बैय, हिबा, लीज इत्यादि से मुन्तकिल करे। मौका व रिकॉर्ड की यथावत स्थिति बनाये रखे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या–1 ने न्यायालय में उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया जिसमें अंकित किया कि पक्षकारान ने आपस में लोक अदालत की प्रेरणा से एवं गॉव के मौजिज लोगो के द्वारा समझाईश कराने पर आपस में राजीनामा कर लिया है। जो राजीनामा श्रीमान की सेवा में निम्न प्रकार है–

आराजी मुतदाविया खसरा संख्या 2037/1 रकबा 3 बीघा 05 बिस्वा कुल रकबा 65 बिस्वा वाके ग्राम कोटकासिम तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0 में से मुझ प्रतिवादी के द्वारा बाजाप्ता बाकब्जा प्रतिफल लेकर उसमें से 10 बिस्वा भूमि यानि कि उत्तर से दक्षिण 136 फिट पूर्व से पश्चिम 100 फिट का बेचान वादी फिरोजखांन पुत्र श्री नसीम अहमद खांन जाति खांनजादा ग्राम कोटकासिम को जरिये रजिर्स्ड बैयनामा दिनांकित 05.06.2018 को किया है। जिस 10 बिस्वा भूमि का बेचान वादी को निश्चित किया है उसके तरफ उत्तर में भूमि विक्रेता, दक्षिण में भूमि का निकास व सती मन्दिर जाने वाली सडक से लगती हुई है तथा पूर्व में विक्रेता की भूमि जो कि महावीर के हिस्से की है तथा पश्चिम में भूमि विक्रेता से महदूद है। जिस भूमि को बाई मीटस एण्ड बाउण्डस तकसीम किया जाकर अलग से खसरा नम्बर डालते हुये तकसीम कर दिया जावे तो मुझ प्रतिवादी को किसी भी प्रकार का कोई ऐतराज नही है, ना ही भविष्य में कभी रहेगा तथा वादी का वाद बरूवे राजीनामा डिक्री के अनुसार फरमा दिया जावे एवं राजस्व नक्शे में उपरोक्त खसरा नम्बर को डिक्री के अनुसार तकसीम कर दिया जावे। इस बटॅवारे के खिलाफ में भविष्य में कोई भी किसी भी प्रकार का वादकरप वगैरा किसी भी न्यायालय में नही करूँगा। यह राजीनामा हमने अपनी–अपनी स्वैच्छा से बिना किसी दबाव के प्रसन्न चित्त अवस्था में किया है किसी के बहकावे में आकर नही किया है। यह राजीनामा मेरे व मेरे वारिसान की मर्जी से हुआ है। मुताबिक राजीनामा वाद डिक्री कर दिया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

विद्वांन अधिवक्ता की बहस सुनी। विद्वांन अधिकवक्ता ने अपने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया ओर पेश राजीनामा को पढकर सुनाया। कहा कि मुताबिक राजीनामा वाद डिक्री कर दिया जावे।

विद्वांन अधिवक्ता की बहस पर मनन किया पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजात रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 05.06.2018, इकरारनामा दिनांक 05.06.2018 प्रतिवादी द्वारा व जमाबन्दी सम्वत 2071–74 पर गोर किया। पक्षकारान के मध्य राजीनामा व पंजीबद्ध सदस्तावेजात से वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादी का वाद बरूऐ राजीनामा इस कदर फाईनल डिक्री किया जाता है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 2037/1 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा मे से 10 बिस्वा का वाके ग्राम कोटकासिम तहसील कोटकासिम में वादी को खातेदार कास्तकार घोषित किया जाता है। आराजी के उत्तर से रक्षिण 136 फिट पूर्व से पशचिम 100 फिट आराजी का तितम्बा काटा जाकर इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अमल दरामद हो। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 11.7.2018 को टंकित किया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम(अलवर)राज0

Scanned by CamScanner

(पर्चा डिक्री)

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर)
## पीठासीन अधिकारी श्री विश्वामित्र मीना आ0ए0एस0

मुकदमा संख्या 170/16 निर्णय दिनांक

दायर दिनांक 02.07.2018 11.7.2018

### उनवान

1. फिरोज खान उम्र करीब 44 साल पुत्र श्री नसीम अहमद जाति खानजादा निवासी कोटकासिम तहसील व थाना कोटकासिम जिला– अलवर (राजस्थान)

–वादीगण

### बनाम

1. कर्णसिंह उम्र करीब 49 साल पुत्र श्री सुरता जाति जाट निवासी कोटकासिम तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज0 ।
2. राजस्थान सरकार जर्ये भूमिधारी अधिकारी (लैण्ड होल्डर) तहसीलदार साहब कोटकासिम जिला–अलवर राज0।
3. उप पंजियक कोटकासिम जिला अलवर राज0

–प्रतिवादीगण

दावा तकासमा आराजी हुक्मईम्तनाईदवामी जेर

दफा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः– 1. श्री नरहरि व्यास अभिभाषक वादी

2. श्री रणवीर सिंह यादव अभिभाषक प्रतिवादी संख्या –1

अतः वादी का वाद बरूऐ राजीनामा इस कदर फाईनल डिक्री किया जाता है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 2037/1 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा मे से 10 बिस्वा का वाके ग्राम कोटकासिम तहसील कोटकासिम में वादी को खातेदार कास्तकार घोषित किया जाता है। आराजी के उत्तर से रक्षिण 136 फिट पूर्व से पशचित 100 फिट आराजी का तितम्बा काटा जाकर इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अमल दरामद हो। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 11.7.2018 को टंकित किया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम(अलवर)राज0

Scanned by CamScanner